न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।
सत्र परीक्षण संख्याः 670/2025
सरकार.....बनाम..... **विशाल चौहान आदि।**

मु०अ०सं० 61/2025
धारा 3(5), 109(1) बी.एन.एस
थानाः **कोतवाली**, आजमगढ़।

दिनांक –14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **विशाल चौहान** जेरे हिरासत जेल से समक्ष न्यायालय उपस्थित तथा **रतन चौहान व रोशन चौहान** मय विद्वान अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया **धारा 109(1) सपठित 3(5) बी.एन.एस** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक **28.07.2025** को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

दिनांक 14.07.2025

(अजय कुमार शाही)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.07.14 13:20:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>
सत्र परीक्षण संख्याः **670/2025**
सरकार.....बनाम..... **विशाल चौहान आदि।**

मु०अ०सं० 61/2025
धारा 3(5), 109(1) बी.एन.एस
थानाः **कोतवाली**, आजमगढ़।

<u>आरोप</u>

मैं, **अजय कुमार शाही**, **अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़** आप अभियुक्तगण **विशाल चौहान, रतन चौहान व रोशन चौहान** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि घटना दिनांक 01.02.2025, समय करीब 22.30 बजे रात बहद स्थान खत्रीटोला मैदान, में आप अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा आफताब अहमद के लड़के तैयब पर जान से मारने की नियत से हमला किया और उक्त कार्य आपने इस आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि इस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा 109(1) सपठित 3(5) बी.एन.एस,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांक 14.07.2025</u> **(अजय कुमार शाही)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उनसे पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं या विचारण चाहते हैं? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

<u>दिनांक 14.07.2025</u> **(अजय कुमार शाही)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।